तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज जगदीश वगै० बनाम भूमिधारी तहसीलदार प्रकरण ... 34/2019
30-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-9-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
17-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
16-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
31.10.2019	पत्रावली आज पेश हुई। ...ल प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील होक... ...ी हैबावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर ... विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती ... प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी ... दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में अप्रार्थीग... विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने ... प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवे... ...किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण ... अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ...प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ल... जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध ...तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त ... कृषि भूमि

खसरा नम्बर 886, 893, 895 कुल कि... कुल रकबा 1.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 887, 891 ... किता 2 कुल

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रकबा 0.50 हैक्टर व 890 रकबा 0.85 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का फुटाला के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर वर्तमान समय में भूमिया खाली पडी हैमौके पर कोई फसल काश्त नहीं की हुई हैतथा ना ही मौके पर कोई सीमा विवाद नहीं है।प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का फुटाला द्वारा दिनांक 31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 886, 893, 895 कुल किता 3 कुल रकबा 1.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 887, 891 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर व 890 रकबा 0.85 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का फुटाला द्वारा दिनांक

~~31.12.2018 को किया गया सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी~~

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

जगदीश दास बनाम भूमियारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा पत्थरगढ़ी नं. 34 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त कटारा) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner